OUR PUBLICATIONS

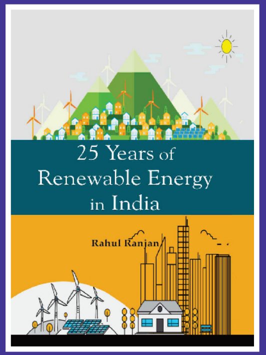
25 Years of
Renewable Energy
in India
Rahul Ranjan

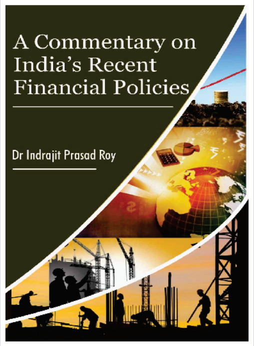
A Commentary on
India's Recent
Financial Policies
Dr Indrajit Prasad Roy

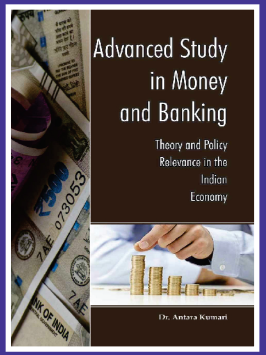
Advanced Study
in Money
and Banking
Theory and Policy
Relevance in the
Indian
Economy
Dr. Antara Kumari

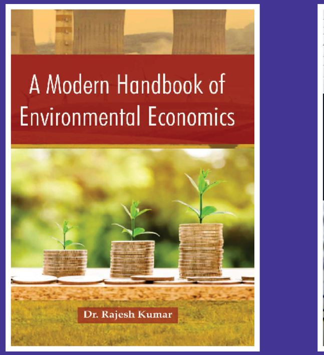
A Modern Handbook of
Environmental Economics
Dr. Rajesh Kumar

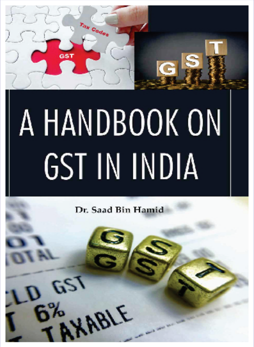
A HANDBOOK ON
GST IN INDIA
Dr. Saad Bin Hamid

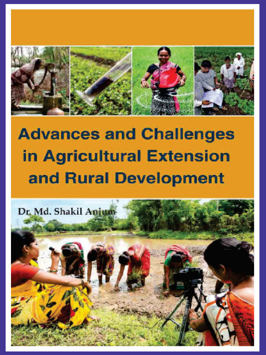
Advances and Challenges
in Agricultural Extension
and Rural Development
Dr. Md. Shakil Anjum

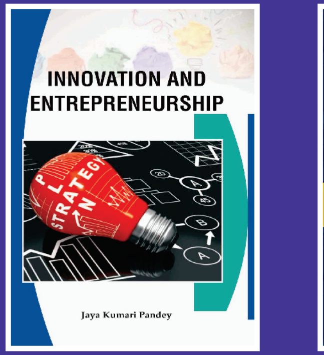
INNOVATION AND
ENTREPRENEURSHIP
Jaya Kumari Pandey

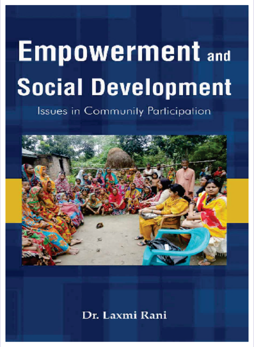
Empowerment and
Social Development
Issues in Community Participation
Dr. Laxmi Rani

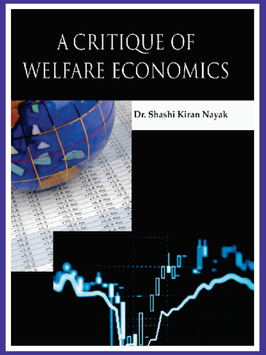
A CRITIQUE OF
WELFARE ECONOMICS
Dr. Shashi Kiran Nayak

Globus Press
448, Pocket-V, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi-110091 (INDIA)
Ph.: 011-22753916

ISSN 0975-119X

UGC-CARE GROUP I LISTED

वर्ष 13 अंक 2 मार्च-अप्रैल 2021

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

India's Leading Referred Hindi Language Journal

IMPACT FACTOR : 5.051

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

प्रधान संपादक
डॉ. अश्विनी महाजन
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

संपादक
प्रो. प्रसून दत्त सिंह
महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी
डॉ. फूल चन्द
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

दृष्टिकोण प्रकाशन

वर्ष : 13 **अंक** : 2 ❑ मार्च-अप्रैल, 2021

दृष्टिकोण

संपादक मंडल

डॉ. अरुण अग्रवाल
ट्रेन्ट विश्वविद्यालय, पीटरबरो, ओंटारियो
डॉ. दया शंकर तिवारी
दिल्ली विश्वविद्यालय
डॉ. आनंद प्रकाश तिवारी
काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी
डॉ. प्रकाश सिन्हा
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
डॉ. दीपक त्यागी
दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर
डॉ. अरुण कुमार
रांची विश्वविद्यालय, रांची
डॉ. महेश कुमार सिंह
सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका
डॉ. हरिश्चन्द्र अग्रहरि
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
डॉ. पूनम सिंह
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
डॉ. एस. के. सिंह
पटना विश्वविद्यालय, पटना
डॉ. अनिल कुमार सिंह
जे.पी. विश्वविद्यालय, छपरा
डॉ. मिथिलेश्वर
वीर कुंअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा
डॉ. अमर कान्त सिंह
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
डॉ. ऋतेश भारद्वाज
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
डॉ. स्वदेश सिंह
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
डॉ. विजय प्रताप सिंह
छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

संपादकीय सम्पर्कः
448, पॉकेट-5, मयूर विहार, फेज-I, दिल्ली-110091
फोन : 011-22753916, 40564514, 35522994 Mobile: 9710050610, 9810050610
e-mail : editorialindia@yahoo.com; editorialindia@gmail.com; delhijournals@gmail.com
Website : www.ugc-care-drishtikon.com
©Editorial India
Editorial India is a content development unit of Permanence Education Services (P) Ltd.

ISSN 0975-119X

नोटः पत्रिका में प्रकाशित लेखकों के विचार अपने हैं। उसके लिए पत्रिका/संपादक/संपादक मंडल को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। पत्रिका से सम्बंधित किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

सम्पादकीय

आज कोरोना वायरस, जिसे चीनी या वुहान वायरस भी कहा जा रहा है, ने लगभग पूरी मानवता को अपनी चपेट में ले लिया है। इस महामारी के कारण मरने वालों की भारी संख्या के कारण इस वायरस से संक्रमित लोगों में ही नहीं, जो लोग संक्रमित नहीं है, उनमें भी खतरा बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं, महामारी के सामने बौनी पड़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में अस्पतालों में बेड, आईसीयू, वेंटीलेटर का तो अभाव है ही, सामान्य स्वास्थ्य उपकरणों जैसे ऑक्सीजन, दवाइयों, स्वास्थ्य कर्मियों आदि की भी भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने बेड, दवाइयों, ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किए हैं, लेकिन वर्तमान त्रासदी के समक्ष वे प्रयास बहुत कम है। कम ज्यादा मात्रा में इसी प्रकार की स्थिति का सामना अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, ब्राजील जैसे देश पहले से ही कर चुके हैं या कर रहें हैं।

भारत में भी इस प्रकार की त्रासदी में लोगों की मजबूरी का लाभ उठाकर मुनाफा कमाने वाले लोगों की कमी नहीं है। हम सुनते हैं कि दवाइयों, ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर आदि के विक्रेता ही नहीं, बल्कि अस्पताल भी मुनाफा कमाने की इस होड़ में शामिल हो चुके हैं। जनता के संकट, इस मुनाफाखोरी के कारण कई गुना बढ़ चुके हैं। इन संकटों से समाधान का एक ही रास्ता है कि जल्द से जल्द इन स्वास्थ्य सुविधाओं को पुख्ता किया जाए और इलाज हेतु साजो-सामान और दवायों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए।

जहां तक दवाइयों की कमी, उनकी ऊंची कीमतों और उससे ज्यादा मुनाफाखोरी का सवाल है, उसके पीछे देश के व्यापारियों की जमाखोरी से कहीं ज्यादा वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार है। पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के कानूनों के कारण दवाइयों और यहां तक कि स्वास्थ्य उपकरणों आदि में भी इन कंपनियों का एकाधिकार स्थापित है। इन कानूनों के चलते इन दवाइयों और उपकरणों का उत्पादन कुछ हाथों में ही केंद्रित रहता है, जिससे इनकी ऊंची कीमतें यह कंपनियां वसूलती है। हाल ही में हमने देखा कि रमदेसिविर नाम के टीके की कीमत 3000 रुपए से 5400 रुपए थी जिसे भारत सरकार ने नियंत्रित तो किया, लेकिन उसके साथ ही उसकी भारी कमी भी हो गई। इसके चलते इन इंजेक्शनों की कालाबाजारी हो रही है और मरीजों से इंजेक्शन के लिए 20 हजार से 50 हजार रू. की कीमत वसूली जा रही है। यही हालत अन्य दवाइयों की है, जिसकी भारी कमी और कालाबाजारी चल रही है।

ऐसा नहीं है कि भारतीय कंपनियां इन दवाइयों को बनाने में असमर्थ है, लेकिन चूँकि वैश्विक कंपनियों के पास इन दवाइयों का पेटेंट है, वे अपनी मर्जी से अन्य कंपनियों (भारतीय या विदेशी) को लाइसेंस लेकर इन दवाइयों का उत्पादन करवाती है और इस कारण इन दवाइयों की भारी कीमत वसूली जाती है।

क्या है समाधान?

यह सही है कि इन दवाइयों के पेटेंट इन कंपनियों के पास है लेकिन फिर भी भारत सरकार वर्तमान महामारी से निपटने हेतु प्रयास कर न केवल इन दवाइयों के उत्पादन को बढ़ा सकती है, बल्कि कीमतों में भी भारी कमी कर लोगों को राहत दे सकती है। गौरतलब है कि पेटेंट से जुड़ी इस प्रकार की समस्या डब्ल्यूटीओ बनने से पहले नहीं थी। देश में सरकार किसी भी दवाई के उत्पादन हेतु लाइसेंस जारी कर उसके उत्पादन को सुनिश्चित कर सकती थी। इस कारण भारत का दवा उद्योग न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में सस्ती दवाइयां उपलब्ध करा रहा था। 1995 में विश्व व्यापार संगठन के बनने के साथ ही ट्रिप्स (व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक सम्पदा अधिकार) समझौता लागू हो गया था। इस समझौते में सदस्य देशों पर यह शर्त लगाई गई थी कि वह पेटेंट समेत अपने सभी बौद्धिक संपदा कानूनों को बदलेंगे और उन्हें सख्त बनाएंगे (यानी पेटेंट धारकों कंपनियों के पक्ष में बनाएंगे)। इस समझौते से पहले भी इसका भारी विरोध हुआ था, क्योंकि यह तय था कि इस समझौते के बाद दवाइयां महंगी होगी और जन स्वास्थ्य पर खतरे में पड़ जाएगा।

ऐसे में जागरूक जन संगठनों और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राजनेताओं के प्रयासों से विश्व व्यापार संगठन और अमीर मुल्कों के दबाव को दरकिनार करते हुए भारत ने पेटेंट कानूनों में संशोधन करते हुए जन स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं का काफी हद तक निराकरण कर लिया था। हालांकि प्रक्रिया पेटेंट के स्थान पर उत्पाद पेटेंट लागू किया गया और पेटेंट की अवधि भी 14 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जेनेरिक दवाइयों के उत्पादन की छूट पुनःपेटेंट की मनाही, अनिवार्य पेटेंट का प्रावधान, अनुमति पूर्व विरोध आदि कुछ ऐसे प्रावधान भारतीय पेटेंट कानून में रखे गए थे, जिससे काफी हद तक जन स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का समाधान हो सका। लेकिन इन सबके बावजूद अमेरिका समेत अन्य देशों की सरकारों ने भारत पर यह दबाव बनाए रखा कि भारत अपने पेटेंट कानूनों में ढील दे और अपने पास उपलब्ध प्रावधानों का न्यूनतम उपयोग करे।

अनिवार्य लाइसेंस

संशोधित भारतीय पेटेंट अधिनियम (1970) के अध्याय 16 और ट्रिप्स प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य लाइसेंस दिए जाने का प्रावधान है। अनिवार्य लाइसेंस से अभिप्राय है सरकार द्वारा जारी लाइसेंस यानी अनुमति जिसके अनुसार किसी उत्पादक को भी पेटेंट धारक की अनुमति के बिना पेटेंट उत्पादन को बनाने, उपयोग करने और बेचने का अधिकार दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के लिए उपयोग की जाने वाली

दवाइयों यानी रमदेसिविर और अन्य दवाओं के संदर्भ में यदि सरकार अनिवार्य लाइसेंस जारी कर दे तो भारत का कोई भी फार्मा निर्माता सरकार द्वारा निर्धारित राशि (जो अत्यंत कम होती है) पेटेंट धारक को देकर उन दवाइयों का उत्पादन देश में करके। उनको इस्तेमाल और बेच सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पेटेंट कानून की धारायें 92 और 100 वैक्सीन हेतु अनिवार्य लाइसेंस जारी करने के लिए उपयुक्त है। सरकार स्वेच्छा (सूओमोटो) से 'राष्ट्रीय आपदा' अथवा 'अत्यधिक तात्कालिकता' के मद्देनजर गैर व्यवसायिक सरकारी उपयोग के लिए इन धाराओं का उपयोग करते हुए अनिवार्य लाइसेंस जारी कर सकती है।

गौरतलब है कि ये कंपनियां महामारी के बढ़ते प्रकोप से मुनाफा कमाने की फिराक में है और अमेरिका सरीखे देशों की सरकारें इन दवाओं और वैक्सीन की जमाखोरी के माध्यम से विकासशील और गरीब देशों के शोषण की तैयारी कर रही है। हाल ही में भारत में वैक्सीन उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति में अमेरिका सरकार ने अड़ंगा लगाया था और अपने पास जमा की वैक्सीन को भारत समेत दूसरे देशों को भेजने पर रोक लगा दी थी। बाद में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दबाव के कारण उन्हें यह रोक हटानी पड़ी।गिलिर्ड कंपनी द्वारा रमदेसिविर टीके की भारी जमाखोरी के समाचार भी आ रहे हैं। ऐसे में भारत में इन दवाओं और वैक्सीन उत्पादन हेतु अनिवार्य लाइसेंस लागू करना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

हालांकि भारत सरकार ने दक्षिणी अफ्रीका के साथ मिलकर विश्व व्यापार संगठन में भी ट्रिप्स प्रावधानों में छूट हेतु गुहार लगाई है, लेकिन अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देशों ने उसमें भी अड़ंगा लगा दिया है। ऐसे में सरकार को अपने सार्वभौम अधिकारों का उपयोग करते हुए ये अनिवार्य लाइसेंस तुरंत देने चाहिए, ताकि महामारी से त्रस्त जनता को कंपनियों के शोषण से बचाया जा सके। गौरतलब है कि विश्व व्यापार संगठन के दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में बौद्धिक सम्पदा (ट्रिप्स) एवं जन स्वास्थ्य से संबंधित एक राजनीतिक घोषणा स्वीकृत की गयी जिसमें सरकारों के इस सार्वभौम अधिकार को मान्य किया गया कि किसी भी आपातकाल अथवा अत्यधिक तत्कालिकता की स्थिति में सदस्य देशों को अधिकार है कि वह ट्रिप्स के प्रदत्त बौद्धिक संपदा अधिकारों को दरकिनार करते हुए जन स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। इस घोषणा द्वारा सदस्य देशों को "राष्ट्रीय आपातकाल या अत्यधिक तात्कालिकता की अन्य परिस्थितियों का निर्धारण करने के लिए अनुमति दी गयी है, कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है"। दिनांक 30 अप्रैल 2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पूछा है कि कोरोना से संबंधित दवाओं के लिए अनिवार्य लाइसेंस लागू करने हेतु सरकार क्यों नहीं सोच रही?

संपादक

इस अंक में

जयशंकर प्रसाद जी का जीवन दर्शन–शशि कपूर; डॉ० अजय मिश्र 1

नागार्जुन के काव्य में सामाजिक वर्ग चेतना का स्वरूप–विनोद कुमार; डॉ० अजय मिश्र 4

हिन्दी साहित्य में गीतों का संवेदना पक्ष–मोहन बैरागी; डॉ० अवनिश अस्थाना 8

प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020–अभिषेक सिंह; डॉ० श्रीप्रकाश मिश्र 13

आधुनिक समाज-दृष्टि और निर्गुण काव्य–हेमंत कुमार 16

'दृश्य से अदृश्य का सफर में व्यक्त मनोवैज्ञानिकता'–प्रो० शर्मिला सक्सेना 19

प्राचीन भारत में दण्ड-व्यवस्था का स्वरूप–कुंवर विक्रम सूर्यवंश 23

मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में चित्रित स्त्री–डॉ. राम किशोर यादव 27

भारत में पंचायती राज व्यवस्था: एक समीक्षात्मक अध्ययन–अरूण कुमार 31

संवेगात्मक परिपक्वता के सन्दर्भ में किशोरावस्था के विद्यार्थियों की सामाजिक परिपवक्वता का अध्ययन–डॉ० अविनाश पाण्डेय 35

भारतीय शिक्षा में वेदों का महत्व–डॉ० भगवानदास जोशी 40

भारतीय स्वतंत्रता क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं का योगदान–डॉ. वाय. एम. साळुंके 44

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन और महात्मा गांधी–मुकेश चन्द्र 47

भारत में दिव्यांगकता का सामाजिक अध्ययन–डॉ० खोमन लाल साहु; डॉ० अश्वनी महाजन 50

द्विवर्षीय बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रति शिक्षक प्रशिक्षार्थियों की अभिवृत्ति का अध्ययन रायपुर जिले के विशेष सन्दर्भ में –प्रियंका तिवारी; डॉ० प्रियंका रमेशराव डफरे 55

ओटीटी प्लेटफार्म की विषय वस्तु का उपयोग एवं संतुष्टि- सिरसा शहर के सन्दर्भ में एक अध्ययन–बेअंत सिंह; डॉ० रविंद्र ढिल्लो 57

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की सांवेगिक परिपक्वता का तुलनात्मक अध्ययन–ज्योति विजय; डॉ० चंद्रकान्त शर्मा 65

साहित्य के बदलते परिदृश्य एवं संस्कृत-रचना; डॉ० उषा नागर 69

चन्द्रप्रकाश जगप्रिय रों कहानी-साहित्य: कथ्य आरो शिल्प–श्वेता भारती 72

फुर्सत, रचनात्मकता और उत्पादन संबंध–डॉ० ज्योति कुमारी 76

हिमाचल की कहानियों में अवसरवादिता और प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार–डॉ० ममता 79

कक्षा-8वीं के गणित पाठ्यपुस्तक का अधिगम प्रतिफल के संदर्भ में अध्ययन–डॉ० ए० के० पोद्दार; सोनम तम्बोली 83

गोपाल कृष्ण शर्मा 'फिरोजपुरी' व्यक्तित्व एवं कृतित्व–पिंकी दहिया 90

पंचायती राज एवं ग्राम विकास–केदार साहु; प्रोफेसर अश्वनी महाजन 93

नारदीय पुराण और पाणिनीय शिक्षा में वेदांग स्वरूप का समीक्षात्मक अध्ययन–कुमुद कुमार पाण्डेय 97

विकास और राष्ट्रीय एकता में युवा समूह की भूमिका–डॉ० जयराम बैरवा 103

विश्वगुरु के रूप में भारत और नई सदी–डॉ० रामलाल शर्मा 106

कोविड-19 के संदर्भ में उच्च शिक्षा की चुनौतिया–डॉ० श्रीमती गीता शुक्ला 108

आधुनिक काल में हिन्दी एवं संस्कृत साहित्य का महत्व–रघुनंदन हजाम 112

हमारे लोकप्रिय गीतकार कवि गिरिजा कुमार माथुर–डॉ० आर० के० पाण्डेय; चोवाराम यदु 115

मिथिलांचल की खास पहचान मखाना–डौली कुमारी; सुदीप कुमार 118

अध्यापक की जिजीविषा एवं अस्मिता की नीलामी का साक्ष्य: दीक्षान्त–डॉ. पूजा शर्मा 123

कवि शिवमंगल सिंह 'सुमन' के काव्य में अभिव्यक्त गाँधीवादी दर्शन–कुशल महंत 126

मुगल काल में पशु-पक्षी चित्रण रूअकबर कालीन चित्रकला के विशेष सन्दर्भ में–डॉ० शैलेन्द्र कुमार 129

निराला के काव्य में भारतीय संस्कृति–डॉ० भंवर लाल प्रजापत 132

संदेशकाव्य-परम्परा में 'मेघदूतम्' और 'संदेशरासक' : एक तुलनात्मक विवेचन–नर्मदा 138

तत्त्वार्थसूत्र में वर्णित जैन जीवन शैली द्वारा युगीन समस्याओं के समाधान–विकास जैन 141

भारतीय संस्कृति की रीढ़ जनक की बेटियां–डॉ० सविता डहेरिया 144

हरिसुमन बिष्ट के कथा-साहित्य में चित्रित दलित वर्ग–डॉ० नवीन चन्द्र 147

सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रभावशीलता का स्तर: (रीवा के विशेष सन्दर्भ में) –डॉ० अमरजीत कुमार सिंह; गोकरण प्रसाद कुशवाहा 151

दलित साहित्य और साहित्यिकता–कमल किशोर कण्डावरिया 157

मृदुला सिन्हा के कथा-साहित्य में वर्णित सामाजिक समस्याएँ–डॉ० ब्रह्मदत्त शर्मा; डॉ० सुमेधा शर्मा 159

रामनगर क्षेत्र का व्यापारिक महत्व: एक ऐतिहासिक अध्ययन–कु० सीमा 162

आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कपिलधारा कूप योजना का हितग्राहियों के आर्थिक विकास में योगदान का अध्ययन (सरदारपुर तहसील के विशेष सन्द्रर्भ में)–डॉ. डुंगरसिंह मुजाल्दा 164

स्नातक स्तर पर सामान्य एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अधिगम शैली प्राथमिकताओं एवं व्यक्तित्व शीलगुणों का अध्ययन; डॉ० पूर्णिमा नराणियां 174

छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात में असमानता–डॉ० आर०एन० यादव; प्रो. ए. श्रीराम 182

समकालीन लोकतांत्रिक समस्याओं के विभिन्न स्वरूप व समाधान–डॉ० आरती यादव 188

कोशी क्षेत्र में तालाब, चौर और मोईन की उपयोगिता एवं महत्व–डॉ० मो० रफत परवेज 191

अपना मोर्चा उपन्यास में वर्णित छात्र आन्दोलन–सुखबीर कौर 195

मुरिया जनजाति का परम्परागत शिक्षा केन्द्र: घोटुल–डॉ० बन्सो नुरूटी; पुरोहित कुमार सोरी 197

बुद्धकालीन स्त्रियों की राजनीति में भूमिका–डॉ० अजय कुमार सिंह 202

विजय दान देथा के कथा साहित्य में नारी–डॉ० विदुषी आमेटा; भूमिका 204

उच्च शिक्षा में छात्राओं की खेलों में सहभागिता की स्थिति का अध्ययन (छिन्दवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में) –कु० सायमा सरदेशमुख; डॉ० रवि कुमार 207

नागरिकों को लेकर राष्ट्रीय मुद्दों व नए मीडिया का अध्ययन (गुरूग्राम लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में)–हिमांशु छाबड़ा 211

माध्यमिक स्तर के विकासात्मक शिक्षा में समस्याएँ एवं संभावनाएँ–डॉ० शोभना झा; डॉ० संजीत कुमार साहू; डॉ० राकेश कुमार डेविड 216

आदिवासी जीवन संघर्ष और साहित्य–डॉ० ओम प्रकाश सैनी 219

कारावास की समस्या बनाम पीछे छूटे बच्चे–डॉ० रेखा ओझा 224

कृषि विकास एवं वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिका का समीक्षात्मक अध्ययन–डॉ. रतन लाल; डॉ० विवेक सिंह 229

दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते कदमों के बीच भारत की पहले, पड़ोसी की नीति–हिमांशु यादव 236

असगर वजाहत के उपन्यासों में अभिव्यक्त ''साम्प्रदायिकता''–माया देवी; डॉ० मृदुल जोशी 240

निजता एंव वर्तमान सूचना क्रांति: एक विश्लेषण–रूबीना; डॉ० कैलाश चन्द्र 244

झुग्गी झोपड़ी में निवासरत महिलाओं की समस्या (बिलासपुर शहर के विशेष संदर्भ में)–कु० आरती तिर्की; डॉ० ऋचा यादव 247

आर्यसमाज की हिंदी पत्रकारिता और स्वदेशी जागरण–विरेन्द्र कुमार 251

मौलाना अबुल कलाम आदाज के शैक्षिक विचार–डॉ० बृजेश कुमार पाण्डेय 256

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी विद्यार्थियों के अध्ययन संबंधी आदतों का तुलनात्मक अध्ययन करना–डॉ. विभा मिश्रा 259

अशिक्षा का जनजातीय जीवन पर प्रभाव और उसकी औपन्यासिक अभिव्यक्ति–डॉ० उमेश कुमार पाण्डेय 262

ग्रामीण दलित महिलाओं के सशक्तिकरण में कल्याणकारी योजनाओं का योगदान–रबिन्द्र कुमार 265

बागेश्वर जनपद के ग्राम पुरड़ा की महिलाओं की सामाजिक स्थिति का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन–राखी किशोर 268

मूल्य शिक्षा के विशेष सन्दर्भ में बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता–डॉ. ईश्वर चन्द्र त्रिपाठी; बिपिन कुमार 274

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बालकों की शैक्षिक समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन–शक्ति सिंह 277

परास्नातक स्तर के नगरीय एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के सामाजिक परिपक्वता का उनकी शैक्षिक निष्पत्ति पर प्रभाव का अध्ययन –डॉ. प्रेमचन्द्र यादव; शिवाश्रेय यादव 280

बनते-बिगड़ते दाम्पत्य जीवन का दस्तावेज : एक पत्नी के नोट्स–डॉ. संजय भाऊसाहेब दवंगे 284

भावी व सेवारत शिक्षकों के जीवन मूल्य: एक अध्ययन–डॉ० चन्द्रावती जोशी 286

''अहिंसात्मक सत्याग्रह की सफल तकनीक और महात्मा गांधी''–डॉ. भूपेश मणि त्रिपाठी 292

ग्रामीण महिलाओं द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रयोग–अनुराधा शर्मा 295

प्राचीन संस्कृत साहित्य में मूलाधार चक्र का निरूपण–डॉ. दीप्ति वाजपेयी; कु. संजू नागर 299

छत्तीसगढ़ राज्य में रेशम उद्योग का रोजगार में योगदान: एक अध्ययन (कोरबा जिले के विशेष संदर्भ में)–होत्री देवी 302

मस्तिष्क गोलार्द्ध प्रबलता का पुरूष जिमनास्टिक खिलाड़ियों के मध्य वॉल्टिंग टेबल उपकरण पर प्रदर्शन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन–डॉ० मिलिन्द भान्देव 307

भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण में परिवर्तन: मकराना शहर, राजस्थान का एक स्थानिक कालिक अध्ययन–निशा चौधरी; डॉ० रश्मि शर्मा 311

प्रेमचंद के कथा-साहित्य में सामाजिक परिस्थितियों की अभिव्यक्ति–डॉ० के० आशा 320

नारी अस्मिता का वैश्विक स्वरूप–मधु गुप्ता 324

मुगल काल में व्यवसायिक शिक्षा (1526-1707)–नेहा सिंह; डॉ० शशि सिंह 329

'रेणु' के नाम बड़ी बहुरिया का पत्र–गायत्री कुमारी 332

लोक साहित्य में अभिव्यक्त लोक संस्कृति (आदी जनजाति के संदर्भ में)–सुश्री उसुम जोडके 335

भारत में महिला कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन: एक सामाजिक और वैधानिक विश्लेषण–फरजीन बानो; प्रो० सबीहा हुसैन 339

पश्चिमी कोशी मैदान और पर्यावरणीय संकट–डॉ० नवनीत 344

खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण से मानव स्वास्थ पर असर–डॉ० प्रतिभा प्रिया 347

मौर्यकालीन राजनीतिक जीवन में धर्मनिरपेक्षता का वर्तमान में प्रासंगिकता–डॉ० रूबी कुमारी 349

कौटिल्य के शैक्षिक विचार का वर्तमान में प्रासंगिकता–डॉ० सरिता कुमारी 352

महात्मा गाँधी और ग्राम स्वराज की अवधारणा - वर्तमान संदर्भ में–डॉ० शारदा कुमारी 355

बिहारीगंज के स्थानीय स्वशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि–श्रिया सुमन; डॉ० कल्पना मिश्रा 358

भारत में संविद सरकार की स्थिति - वर्तमान संदर्भ में–मधु कुमारी 361

बिहार में कृषि का आर्थिक परिदृश्य–ज्योति कुमारी 364

कोरोना काल में बीमा का महत्व–डॉ० प्रवीण कुमारी 367

महिला सशक्तिकरण और आरक्षण - एक अध्ययन–डॉ० स्वाति कुमारी 370

शिक्षा के क्षेत्र में दृष्टिबाधित छात्र-छात्राओं की स्थिति का अध्ययन–धीरज कुमार भारती; डॉ० आर० एन० शर्मा 372

छपरा नगर में साक्षरता का क्षेत्रीय वितरण: एक भौगोलिक अध्ययन–डॉ० संजय कुमार; शैलेन्द्र मालाकार 377

डॉ० शिवप्रसाद सिंह के उपन्यासों में वर्णव्यवस्था के आर्थिक पक्ष का अनुशीलन–डॉ० उर्विजा शर्मा 380

ज्ञानरंजन की कहानियों में मानवीय संवेदनाओं की मौलिकता–अर्जुन यादव 383

मुगल साम्राज्य पर नादिरशाह के आक्रमण के प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन–डॉ० मनोज सिंह यादव 386

हस्तकशीदाकारी: संस्कृति एवं परम्पराओं का संवाहक–डॉ० अवधेश मिश्र; अनीता वर्मा 390

एकादश एक रस राष्ट्र रस की कवयित्री सुभद्राकुमारी चौहान–डॉ० संजय कुमार सिंह 392

साम्प्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता–सुमन देवी 396

कुमाऊँनी संस्कृति के उल्लेखनीय तत्व–मो० नाजिम; डॉ० सेराज मोहम्मद 399

'तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य' 'तस्मादित्युत्तरस्य' 'स्वं रूपं शब्दस्याऽशब्दसंज्ञा' च त्रिषु सूत्रेषु विचार:–अंकित मनोड़ी 403

महाभारते वर्णित-राजधर्मस्य अनुशीलनंशान्तिपर्वण: परिप्रेक्ष्ये–डॉ० निवेदिता बैनर्जी 406

बिहार राज्य के ग्रामीण बेरोजगार युवकों को आर्थिक रूप से सबल बनाने में कौशल विकास योजना की भूमिका–मनोज कुमार साह 410

हिन्दी में आंचलिक उपन्यासों की परम्परा–डॉ० चिम्मन 413

भाषिक संवेदना के कवि रघुवीर सहाय–प्रतिभा देवी 416

'मुन्नी मोबाइल' में चित्रित लोकल और ग्लोबल परिदृष्य की उद्देश्यता–डॉ० सचिन मदन जाधव 420

महादेवी वर्मा: स्त्री-मुक्ति का स्वर–जागृति 423

शिव के विविध स्वरूपों का वर्णन–सीलू सिंह 426

कोरोना महामारी और बच्चों की शिक्षा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में - एक अध्ययन–डॉ० रंजना कुमारी झा 431

उत्तराखण्ड के कुमाऊँ क्षेत्र का व्यापारिक महत्व का एक ऐतिहासिक अध्ययन: रामनगर के विशेष सन्दर्भ में–डॉ० नीरज रुवाली; कु० सीमा 434

हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में नारी चरित्र–डॉ० रोहित कुमार मिश्र 437

भारतीय सामाजिक सुधार आन्दोलन में ज्योतिवा फुले का योगदान–रितेश कुमार 440

कुंठा का व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन–डॉ० यतीन कुमार चौबीसा 444

अशिक्षा का जनजातीय जीवन पर प्रभाव और उसकी औपन्यासिक अभिव्यक्ति

डॉ० उमेश कुमार पाण्डेय

असिस्टेन्ट प्रोफेसर (हिन्दी), शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०)

शोध-सारांश

अशिक्षा भारतीय जनजातियों के पिछड़ेपन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय समाज में साक्षरता की दर केवल 47 प्रतिशत है। महिलाओं में साक्षरता की स्थिति तो और भी खराब है। लगभग 65 प्रतिशत आदिवासी स्त्रियाँ अभी भी निरक्षर हैं। देश में जनजातियों की साक्षरता में क्षेत्रीय असंतुलन भी बहुत अधिक है। यदि हम पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय बहुल राज्यों मिजोरम, नागालैंड, मेघालय तथा मणिपुर को छोड़ दें तो शेष भारत में उनकी साक्षरता बहुत ही कम है। बिहार, ओड़िशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्य जनजातीय साक्षरता की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। अशिक्षा के कारण लंबे समय तक आदिवासी विकास की मुख्य-धारा से कटे रहे। अभी भी बहुत से आदिवासी शिक्षा के महत्त्व को नहीं जानते और उनके लिए यह बेमतलब की चीज है। आदिवासी अभिभावकों को लगता है कि वे स्कूल में अपने बच्चों को भेजकर एक अनुत्पादक कार्य कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि जनजातियों को इस बात के लिये प्रेरित किया जाय कि वे अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें। इसके लिए उन्हें व्यापक पैमाने पर जागरूक करने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति-2020 को जनजातीय क्षेत्रों में बड़े स्तर पर लागू करने की आवश्यकता हैं।

Keywords: शोषण, घुमंतू, अभाव, मुख्य-धारा, बेदखल, बिचौलिया, जागरूकता, साक्षरता, नीति, गरीबी, खानाबदोश, ठेकेदार।

जनजातीय जीवन में शिक्षा की स्थिति बहुत चिंताजनक है। जनजातियों के शोषण व इनकी दयनीय स्थिति के लिए मुख्यत: शिक्षा की कमी ही उत्तरदायी है। मानव-संसाधनों के विकास का प्रमुख उत्प्रेरण शिक्षा है और अशिक्षा के कारण लंबे समय तक आदिवासी विकास की मुख्य-धारा से कटे रहे। हालांकि आदिवासी क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों में बहुत संपन्न हैं, इसके अलावा बड़े और मध्यम प्रकार की कई परियोजनायें जैसे-सिंचाई, ऊर्जा उत्पादन और कई विनिर्माण उद्योग आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित किये गये हैं, लेकिन शिक्षा और अपेक्षित कुशलता की कमी के कारण जनजातीय लोग नई आर्थिक सुविधाओं व अवसरों का लाभ नहीं उठा पाये। इसी कारण आदिवासी क्षेत्रों में बाहर से आये प्रवासियों ने इन पर अपना आधिपत्य बना लिया। शिक्षा की कमी से वे न केवल नई योजनाओं की सुविधाओं से वंचित हुये, अपितु उनकी जीविका के संसाधनों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। वे जमीन से बेदखल हुये तथा दलालों, बिचौलियों, ठेकेदारों और महाजनों के भी शोषण के शिकार हुये।

वर्ष 2011 में जहाँ भारत की साक्षरता दर 73 प्रतिशत है वहीं जनजातीय समाज में साक्षरता की दर केवल 47 प्रतिशत है। महिलाओं में साक्षरता की स्थिति तो और भी खराब है। लगभग 65 प्रतिशत आदिवासी स्त्रियाँ अभी भी निरक्षर हैं। देश में जनजातियों की साक्षरता में क्षेत्रीय असंतुलन भी बहुत अधिक है। यदि हम पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय बहुल राज्यों मिजोरम, नागालैंड, मेघालय तथा मणिपुर को छोड़ दें तो शेष भारत में उनकी साक्षरता बहुत ही कम है। बिहार, ओड़िशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्य जनजातीय साक्षरता की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। हालांकि अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के लिये संविधान में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 15(4) एवं अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं। शिक्षा राज्य एवं केन्द्र दोनों का ही विषय-क्षेत्र है, पर शिक्षा के प्रसार का मूल दायित्व राज्य सरकारों को सौंपा गया है। केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर जनजातियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। जिनमें मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति, बालक एवं बालिका छात्रावासों की स्थापना, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये कोचिंग केन्द्र का प्रबंध, 7.5 प्रतिशत का केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, दोपहर का भोजन, मुफ्त पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था और शोध छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप आदि चीजें शामिल हैं। इन सब सुविधाओं से निश्चय ही स्थिति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन इनकी स्थिति को सुधारने के लिए और कारगर प्रयास की जरूरत है। सबसे बड़ी आवश्यकता तो इस बात की है कि जनजातियों को इस बात के लिये प्रेरित किया जाय कि वे अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें। इसके लिए उन्हें व्यापक पैमाने पर जागरूक करने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति-2020 को जनजातीय क्षेत्रों में स्कूली और उच्च शिक्षा में बड़े स्तर पर लागू करने की आवश्यकता हैं।

आदिवासी समाज में अशिक्षा से उत्पन्न शोषण की समस्या को हिन्दी के विभिन्न उपन्यासों में उठाया गया है। कई लेखकों ने आदिवासियों के शोषण के लिये सर्वाधिक जिम्मेदार कारण अशिक्षा को माना है। यह कहना पूरी तरह प्रासंगिक है कि अशिक्षा के कारण आदिवासियों में शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता नहीं होती और साहूकार, जमींदार, बिचौलिए, ठेकेदार आदि लोग उनका अपने हितों के लिए दोहन करते हैं। 'पठार पर कोहरा' उपन्यास का संजीव अशिक्षा के कारण शोषण को लेकर सुगना मुण्डा से कहता है–''साहू सेर-भर अनाज का चौथाई नमक बदले में देता है तुम्हें। जानते हो, शहर में नोन पैसों पर मिलता है और अनाज रुपयों से। तुम पढ़े-लिखे होते तो साहू यूँ लूट नहीं सकता था तुम्हें।''[1] शिक्षा की कमी के कारण आदिवासियों में देश और समाज की घटनाओं के प्रति जागरूकता नहीं रहती और वे अक्सर शोषण के शिकार होते रहते हैं। 'पठार पर कोहरा' उपन्यास में ही आगे शिक्षा के अभाव में शोषण पर टिप्पणी करते हुए लेखक सोनारा मुण्डा के माध्यम से कहता है–''पढ़ाई के बिना बैल बना रहता है आदमी। साहू जैसे महाजन और बेचू तिवारी जैसे जमींदारों की लाठी से हॉका जाता है मुण्डा...पढ़ता जो नहीं। पढ़े-लिखे होने के चलते ही होशियार साहू ने और बेचू तिवारी ने भी, गाँव में हवेली ठोंक ली है और अनपढ़ मुण्डा झोपड़ी में ही रह गये।''[2]

आदिवासियों में गंभीर अशिक्षा की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अधिकांश लोग दैनिक जीवन की साधारण-सी घटनाओं से भी अनभिज्ञ रहते हैं। 'रेत' उपन्यास की कमला बुआ को तो यहाँ तक नहीं पता कि शपथ क्या चीज होती है। 'कमला सदन' की रुक्मिणी जब राज्य सरकार में उपमंत्री के रूप में शपथ लेने जाती है तो बुआ ड्राइवर से कहती है–''धरमा, मरे अभी कितनी दूर है तेरी यह राजधानी? मेरी तो कमर ही टूटी जा रही है....पता ना यह कैसी सपथ है...इसे ये रुक्मिणी जाके खुद ही क्यों न ले आती।''[3] शिक्षा का यह स्तर यह बताता है कि आदिवासियों की वास्तविक स्थिति कैसी है। आदिवासी भारत के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में से एक छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में तो लोग आज भी शिक्षा को किसी अजूबे से कम नहीं समझते। 'जंगल के फूल' उपन्यास में राजेन्द्र अवस्थी इस स्थिति का भलीभाँति उल्लेख करते हैं। उपन्यास में नारायणपुर का गायता गाँव की सभा में बोलता है–'मैं एक नई बात कहने जा रहा हूँ। हमारे गाँव में एक बड़ा घर बन रहा है। कहते हैं वह 'स्कूल' है। उसमें लड़कों को पढ़ाया जाएगा।'

–'क्या पढ़ाया जाएगा?'

- 'मैं नहीं जानता।'

- 'पढ़ाना क्या चीज है, गायता?'

- 'वह भी मुझे नहीं मालूम।'[4]

हमारे देश में अशिक्षा का सबसे बड़ा कारण गरीबी है। गरीबी के चलते आम आदिवासी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। हालाँकि सरकार ने आदिवासियों की शिक्षा को नि:शुल्क कर दिया है, लेकिन फिर भी स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आदिवासियों के बच्चे दिनभर किसी न किसी काम में लगे रहते हैं और अपने परिवार का आर्थिक बोझ उठाने में उनकी मदद करते हैं। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह होता है कि आदिवासी बच्चे विद्यालयों में उपस्थित नहीं हो पाते। 'पठार पर कोहरा' उपन्यास में लेखक की चिंता इस संबंध में जाहिर होती है–''दैन्य और संघर्ष से भरी गाँव की दिनचर्या के बीच जीवन और आशा की स्थापना एक विकट चुनौती की भाँति लगती है। फिर शिक्षा की कौन कहे...? दिन भर पेट-रोटी की फिक्र में फिरकनी की तरह अभिभावकों के साथ नाचते फिरते बच्चे भी सांझ ढलने के बाद ही स्थिर हो पाते हैं।''[5] लेखक अर्थोपार्जन के कारण शिक्षा से वंचित होने की विवशता को आगे और स्पष्ट करता है। स्कूल न आ पाने की मजबूरी पर पुटका मुण्डा मास्टर संजीव से कहता है–''हम स्कूल में पढ़ेंगे तो हमारी बकरी कौन चराएगा? घास गढ़ने कौन जाएगा?''[6] इस तरह हम देखते हैं कि गरीबी के कारण अधिकांश जनजातीय बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित हैं। घुमन्तू जनजातियों में तो यह समस्या और भी गंभीर है। रोजगार के लिए जगह-जगह घूमने के कारण इन आदिवासियों के बच्चे कभी विद्यालय नहीं जा पाते। 'शैलूष' उपन्यास में लेखक आदिवासियों की इस पीड़ा को व्यक्त करते हैं। उपन्यास का पात्र जुड़ावन नट अपनी पत्नी सब्बो से कहता है–''हम सदा से अनपढ़ रहे हैं सब्बो और रहेंगे। खानाबदोशों के लिए इतना वक्त कहां है कि वे अपने लड़के-लड़कियों को मदरसे में भेजें।''[7]

कभी-कभी शिक्षकों में उत्तरदायित्व की भावना के अभाव से भी आदिवासी बच्चे शिक्षा के प्रति अरुचि प्रदर्शित करते हैं। गाँवों में सरकारी विद्यालयों के बहुत से शिक्षक आज भी आदिवासियों की शिक्षा को गंभीरता से नही लेते हैं। कई बार पूर्वाग्रह के चलते भी वे बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि विकास को लेकर उदासीन बने रहते हैं। 'नदी के मोड़ पर' उपन्यास का रामसिंह अपने मास्टर साहब के बारे में सोचता है, जो आदिवासी बच्चों से अक्सर कहते थे–''हरामजादो, तुम लोग हो तो आदिवासी, न तो तुम्हारे बाप ने कभी पढ़ा और न कभी तुम पढ़ सकते हो, अकल से दुश्मनी जो ठहरी। जाओ, दारू पीओ और मांदल बजाओ।''[8] आदिवासियों में जागरूकता के अभाव के कारण भी अशिक्षा की समस्या पायी जाती है। बहुत से आदिवासी शिक्षा के महत्त्व को जानते ही नहीं हैं और उनके लिए यह बेमतलब की चीज है। आदिवासी अभिभावकों को लगता है कि वे स्कूल में अपने बच्चों को भेजकर एक अनुत्पादक कार्य कर रहे हैं। 'पठार पर कोहरा' उपन्यास में मास्टर संजीव द्वारा शिक्षा के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजने का आग्रह करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हरमू और सुगना मुण्डा कहते हैं–''छोड़ो...। हमें पढ़ाओ मत। पढ़-लिखकर लाट-कलट्टर नई बन जाएँगे हमारे छौंड़ा-छौंड़ी। मुण्डा तो जनम से ही मुण्डा होता है। पढ़ लिखकर तो मुण्डा भी नई रहता। बनासकाँठा वालों की तरह दीकू बन जाता है। हमें नई बनना दीकू ।''[9] इसी तरह बुंदेलखण्ड में पायी जाने वाली कबूतरा जनजाति भी शिक्षा को एक गैर जरूरी कार्य मानती है। इस जनजाति में अज्ञानता इस कदर हावी है कि जब 'अल्मा कबूतरी' उपन्यास में कदमबाई का लड़का राणा पढ़ने की बात करता है तो वह उसे बड़े अचरज से देखती है। उसे लगता है कि मेरे लड़के के ऊपर किसी चुडैय्ल का साया पड़ गया है। बेटे द्वारा अपने धंधे में रुचि न रखकर पढ़ाई करने की बात करने पर कदमबाई अपने आपको ठगी हुई महसूस करती है। वह अपनी वेदना मलिया काका

से व्यक्त करती हुई कहती है–''काका, पाठशाला का संस्कार डालकर अपने धंधे से हाथ धोना है। देख नहीं रहे राणा ने दो पोथी क्या पढ़ लीं, मुखिया के माथे पर जूता मार दिया। यह नहीं सोचा कि यह मार उसकी माँ की कमर तोड़ देगी। रामसिंह पढ़ गया, तो क्या उसने दुनिया शक कर ली? कर लेता तो बेटी अब तक कुँआरी न बनी रहती।''[10]

आदिवासियों में शिक्षा की निराशाजनक स्थितियों के बावजूद धीरे-धीरे उनके समाज में भी चेतना जागृत हो रही है। खासकर नयी पीढ़ी शिक्षा के महत्त्व को समझ रही है और जनजातीय बच्चे भी पाठशालाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। यहाँ तक कि भाषा की समस्या के बावजूद अब उनके बीच अंग्रेजी का महत्त्व भी बढ़ रहा है। 'अल्मा कबूतरी' का रामसिंह शिक्षा की उपयोगिता से अच्छी तरह वाकिफ है। वह अल्मा और राणा को स्वयं समय देकर पढ़ाता है। राणा को पढ़ाते हुए रामसिंह अंग्रेजी भाषा को लेकर उससे कहता है–''देख क्या रहा है, अभ्यास कर। यह तो सीखनी ही होगी। अब यह अंग्रेजों की नहीं, दुनिया भर की भाषा है। सबसे बड़ी बात साइंस का आधार है। अब हम ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे कि पीछे रह जाएँ। हमारे पुरखे इन्हीं गलतियों से इतने पिछड़े कि हवा-पानी और धरती से बेदखल कर दिये गए। जमाना बदल रहा है, हम भी बदलेंगे। बम और पिस्तौलों के जमाने में तीर-तलवारों से काम नहीं चलता, हमारी पिछली पीढ़ियों ने इस बात को नहीं समझा। कज्जा लोगों के हुनर नहीं सीखे, उनको त्यागने में जाति का गर्व समझा।''[11]

कहने की आवश्यकता नहीं कि आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज उनके बीच शिक्षा का व्यापक प्रसार करने की जरूरत है। उनके लिए औपचारिक शिक्षा से भी अधिक जरूरी यह है कि उन्हें रोजगारपरक शिक्षा दी जाये। ऐसी शिक्षा देने से एक तो उनके बीच आर्थिक आत्मनिर्भरता आयेगी, दूसरे उनकी तमाम विलुप्त होती कलाओं को भी संरक्षित किया जा सकेगा। 'रथ के पहिए' उपन्यास में देवेन्द्र सत्यार्थी 1952 में ही व्यावसायिक शिक्षा के महत्त्व को रेखांकित कर चुके थे। उपन्यास का मुख्य पात्र आनंद करंजिया गाँव के बच्चों के लिए 'कलाभारती' की स्थापना करता है। 'कलाभारती' में औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ चित्रकला, हस्तशिल्प आदि सिखाने की भी व्यवस्था रहती है। निश्चय ही 'कलाभारती' जैसी सस्थांए आज के भारत की आवश्यकता हैं। आदिवासियों को उनकी स्थानीय भाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना भी बहुत आवश्यक है, इसके लिए हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में जरूरी बदलाव और कार्यान्वयन करना होगा। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए व्यापक जन-जागरण की भी आवश्यकता है।

संदर्भः

1. सिंह, राकेश कुमार, पठार पर कोहरा, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, पृ0 151, द्वितीय संस्करण, 2005
2. वही, पृ0 184
3. मोरवाल, भगवानदास, रेत, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0 308, प्रथम संस्करण, 2008
4. अवस्थी, राजेन्द्र, जंगल के फूल, राजपाल एण्ड सन्ज, नई दिल्ली, पृ0 157, संस्करण, 1976
5. सिंह, राकेश कुमार, पठार पर कोहरा, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, पृ0 139, द्वितीय संस्करण, 2005
6. वही, पृ0 150
7. सिंह, शिवप्रसाद, शैलूष, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, पृ0 49, प्रथम संस्करण, 1989
8. सदन, दामोदर, नदी के मोड़ पर, पराग प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0 86, दूसरा संस्करण, 1979
9. सिंह, राकेश कुमार, पठार पर कोहरा, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, पृ0 149, द्वितीय संस्करण, 2005
10. पुष्पा, मैत्रेयी, अल्मा कबूतरी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0 71, प्रथम पेपरबैक संस्करण, 2004
11. वही, पृ0 126